न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/103/2019	2019/00200	27.11.2019	27.09.2021

01–हीरालाल पुत्र जसमाल जाति माली उम्र 88 वर्ष निवासी ईन्दपुर तहसील रामगढ(अलवर)

–अपीलांट

बनाम

01– राज0सरकार जरिये नायब तहसीलदार रामगढ जिला अलवर।

–रैस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय नायव तहसीलदार रामगढ़ दिनांक 30.08.2018 अन्तर्गत धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 200/18

उपस्थितः–

01–श्री जे.सी. सतीजा

–वकील अपीलाण्ट

–:निर्णयः–

अपीलान्ट ने यह अपील नायब तहसीलदार रामगढ़ के आदेश दिनांक 30.08..2018 जिसके द्वारा अपीलान्ट को ग्राम ईन्दपुर की सरकारी भूमि गैर मुमकिन रास्ता के आ.ख.नं. 692 रकबा 0.8700 है0के 0.06 है0 पर कपास काश्त व मैड बनाकर अतिक्रमण कर लिये जाने पर अतिक्रमी को अतिक्रमित रकबे से बेदखल किये जाने तथा दण्ड स्वरूप लगान 0.90 रू0 का 50 गुना रू. 45/– पैनेल्टी से व्यथित होकर पेश की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर होकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलांट के द्वारा खसरा नम्बर 692 पर कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है और न ही आज है। अपीलांट एक वरिष्ठ नागरिक है तथा इज्जतदार आदमी है। इसलिये बेदखली के आदेश से उसकी इज्जत प्रभावित होती है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 30.8.2018 अपास्त फरमाया जावे।

हमने पत्रावली एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया एवं वकील अपीलान्ट की बहस का मनन किया। तहसीलदार रामगढ से विवादित आराजी के अतिक्रमण की वर्तमान रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार रामगढ ने अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 27.01.2020 में अंकित किया है कि **"ग्राम ईन्दपुर के विवादित आराजी खसरा नम्बर**

263

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

692/0.87 रकबा 0.8700 है0 में से 0.06 है0 में **पर कपास काश्त बोकर मैड बनाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर रखा है मौंके पर उक्त अराजीयात पर अतिक्रमियान का अतिक्रमण पाया गया।** तहसीलदार रामगढ द्वारा अतिक्रमियान को मौंके से वेदखल किये जाने बावजूद अतिक्रमियान ने प्रश्नगत आराजी से अपना अतिक्रमण नहीं हटाया है। प्राकृतिक न्याय के सुस्थापित सिद्धान्त एंव न्यायोचित प्रक्रियानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश यथावत रखा जाता है। तहसीलदार रामगढ को निर्देश दिये जाते है कि अपीलान्ट के विरूद्ध धारा 91(6)भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें एवं विवादित आराजी से तुरन्त अतिक्रमी का अतिक्रमण हटवायें।

निर्णय प्रति अधिनस्थ न्यायालय को उनके मूल रिकार्ड के साथ विधि द्वारा सुस्थापित प्रक्रियानुसार पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(प्रथम) अलवर

निर्णय आज दिनांक 27.09.2021 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
(प्रथम) अलवर
अलवर (राज0)